राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– (1–17)415/2017 से 431/2017/2017..जिला......................................बीकानेर

उनवान – मैसर्स राजस्थान इन्फोटेक मीडिया सर्विस प्रा.लि.बीकानेर बनाम 1. सहायक आयुक्त,वृत–बी,बीकानेर व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**	
27.03.2017	अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित ।	

येँ सत्रह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.02.2017, जो राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे मनोरंगज एवं विज्ञापन कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4ए, 4एए, 5बअी, 9ए तथा 10बीबी सपठित रास्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्व ये सत्रह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4)के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। समस्त अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	माह	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5
415/17	दिस. 08	S-347/AA-ENT/16-17	316880.00	316880.00
416/17	जन. 09	S-348/AA-ENT/16-17	316880.00	316880.00
417/17	फर. 09	S-349/AA-ENT/16-17	316880.00	316880.00
418/17	मार्च–09	S-350/AA-ENT/16-17	316880.00	316880.00
419/17	अप्रै.–09	S-351/AA-ENT/16-17	316880.00	316880.00
420/17	अप्रै.10	S-352/AA-ENT/16-17	622040.00	622040.00
421/17	मई–10	S-353/AA-ENT/16-17	613170.00	613170.00
422/17	जून–10	S-354/AA-ENT/16-17	604300.00	604300.00
423/17	जुल.–10	S-355/AA-ENT/16-17	595420.00	595420.00
424/17	अग.–10	S-356/AA-ENT/16-17	586550.00	586550.00
425/17	सित.–10	S-357/AA-ENT/16-17	577680.00	577680.00
426/17	अक्टू–10	S-358/AA-ENT/16-17	568810.00	568810.00
427/17	नव.–10	S-359/AA-ENT/16-17	559940.00	559940.00
428/17	दिस.–10	S-360/AA-ENT/16-17	551060.00	551060.00
429/17	जन.–11	S-361/AA-ENT/16-17	542190.00	542190.00
430/17	फर.–11	S-362/AA-ENT/16-17	533320.00	533320.00
431/17	मार्च–11	S-363/AA-ENT/16-17	344390.00	344390.00

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी बीकानेर शहर में केबल सर्विस का व्यवसाय करता है । कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि में संचालित केबल नेटवर्क हेतु सेवा कर(Service Tax) रू.

15,98,987/– व रू. 27,41,441/–का भुगतान किया गया है, के आधार पर औसत मासिक राजस्व रू.10,78,065/– व 22,17,994की गणना मानकर एंव रू. 100/–प्रति कनेक्शन के आधार पर मासिक कनेक्शन संख्या 10781 अनुमानित करते हुए 20/–रू. प्रति कनेक्शन से कुल मनोरंजन कर एवं उस पर ब्याज तथा शास्तियॉ उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित की। उक्त आरोपित मनोरंजन कर,ब्याज एवं शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार मनोरंजन कर,ब्याज एवं शास्तियों को यथावत रखा है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मनोरंजन कर का दायित्व मुख्य केबल सर्विस ऑपरेटर (mso) का ही है केबल ऑवरेटर का नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त तथ्य की अनदेखी करके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित कर उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 अनुसार गनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की है,जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स इंडस मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लिमिटेड व अन्य बनाम मामलातदार व अन्य (31 टैक्सअप डेट 35) एवं कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–बी,कोटा बनाम मैसर्स रेडियेट सेटेलाईट इण्डिया प्रा.लि.कोटा में पारित निर्णय 01.03.2012 को उद्धृत किये। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा गया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बहस के दौरान प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित मनोरंजन कर, ब्याज सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार की है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में है। अतः उन्होंने उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्तियो की वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राशि स्थगित नही करने का निवेदन किया।

स्थगन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस पर विचार किया गया । बहस एवं प्रकरण के तथ्यों पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। अतः बहस के दौरान बताये गये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना आदेशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त तालिका को कॉल संख्या 6 में अंकित राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त पर कॉलम संख्या 6 में अंकित राशियों बाबत आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके सन्तोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (Adequate Security) पेश कर देवें तो उपरोक्ता तालिका के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशियों का 50 प्रतिशत राशि एक माह तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण पर निर्णय करना सुनिचिश्त करें।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य